डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 दिसम्बर, 2022, डिस्पेच दिनांक 1 दिसम्बर, 2022

| वर्ष 66 | अंक 13 | भोपाल | 1 दिसम्बर, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

अन्न प्रदाता के साथ ऊर्जा प्रदाता भी बन रहा है किसान

मध्यप्रदेश में भी लगाएंगे बहुआयामी कृषि प्रदर्शनी, लागू करेंगे नवाचार – मुख्यमंत्री श्री चौहान

म.प्र. में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषि क्षेत्र के विकास में दिया विशेष ध्यान – केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी

मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर में निरंतर हुई वृद्धि

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नागपुर में किया एग्रो विजन का शुभारंभ

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए मध्यप्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। गेहूँ उत्पादन में देश में अव्वल रहते हुए मध्यप्रदेश में किसानों को सभी तरह के उत्पादन का पूरा लाभ देने का कार्य किया। प्रदेश की कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। इसके बावजूद अन्य प्रदेशों में किसानों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में भी उन्हें लागू करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस सिलसिले में केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी की पहल पर विदर्भ में लोकप्रिय हुई बहुआयामी एग्रो विजन कृषि प्रदर्शनी और अन्य नवाचारों को अपनाने का कार्य भी किया जाएगा। मध्यप्रदेश में एग्रो विजन का कार्यक्रम किसानों के हित में किए जाने की आवश्यक पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज नागपुर में केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के संयोजन में हुए एग्रो विजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रदर्शनी के साथ ही कार्यशाला और परिसंवाद के कार्यक्रम 28 नवंबर तक चलेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दीप जला कर एग्रो विजन का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए 5 सूत्री रणनीति पर अमल किया

गया है। इसमें उत्पादन वृद्धि, लागत कम करने, फसल का उचित दाम देने, क्षति पर आवश्यक भरपाई और तकनीक का इस्तेमाल शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को प्राकृतिक आपदा और अन्य कारणों से फसलों की क्षति पर पर्याप्त राहत राशि देने की व्यवस्था की गई है। किसानों को फसल बीमा की राशि दिलवाने के लिए निरंतर समीक्षा की गई। परिणामस्वरूप किसानों को राहत मिली। इसी तरह कृषि कार्य में रिमोट सेंसिंग और तकनीक के भरपूर उपयोग से किसानों को लाभ देने का कार्य किया गया। मध्यप्रदेश में कृषि विविधीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गेहूँ, धान, चना और दालों के अलावा फल और फूलों की खेती के नवाचार भी हो रहे हैं। प्रदेश में बाँस उत्पादन से किसानों को आय वृद्धि का लाभ मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात किसानों को जीरो प्रतिशत पर कर्ज देकर ब्याज से राहत दिलवाने की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में सिंचाई प्रतिशत को कई गुना बढ़ा कर किसानों को अधिक उत्पादन की सुविधाएँ पहुँचाते हुए उनकी आमदनी बढ़ाने में सहयोग किया गया। किसान को शिक्षित कर आर्थिक लाभ दिलवाने, सभी तरह के अनाजों की खरीद की उचित व्यवस्था कर किसानों की जिंदगी बदलने का कार्य किया गया। मध्यप्रदेश में सोलर पंप का उपयोग बढ़ रहा है। इस पर केन्द्र और राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा से चलित पम्पों का इस्तेमाल करेंगे। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी के मार्गदर्शन में इथेनाल के प्लांट भी लगाए जाएंगे। इथेनाल से निर्मित फ्यूल से पेट्रोल और डीजल के उपयोग से हो रही विदेशी मुद्रा का खर्च बचाने का प्रयास करते हुए पर्यावरण-संरक्षण का कार्य भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि विकास दर में लगातार वृद्धि के विशेष प्रयास किये गये।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

सहकारिता से नवीन एवं गैर परम्परागत क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं विद्यमान है

नवीन एवं गैर परम्परागत क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के गठन प्रकिया पर विभाग के कार्यपालिक कर्मचारियों का एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला/प्रशिक्षण

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा दिनांक 21.11.2022 को ''नवीन सहकारी संस्थाओं के गठन प्रकिया पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के सहकारिता विभाग के कार्यपालिक अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला'' का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नईदिल्ली एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। श्री के.सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव, सहकारिता, श्री प्रदीप नीखरा, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, श्री अरविंद सिंह सेंगर, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा पूज्य गणेश एवं मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर मार्ल्यापण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला/प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। जिसमें प्रदेश के प्रत्येक जिलों से दो–दो एवं संभागीय जिलों से 05 कार्यपालिक अधिकारी उपस्थित हुये। कार्यशाला को संबोधित करते हुये श्री के.सी.गुप्ता, प्रमुख सचिव, सहकारिता, म.प्र. शासन एवं प्राधिकृत अधिकारी, म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारिता से नवीन एवं गैर परम्परागत क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनायें विद्यमान है पर अपना विचार व्यक्त किये एवं दूर ग्रामीण अंचलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने हेतु इन नवीन सहकारिताओं से जोडने के भरसक प्रयास करने के लिये प्रेरित किया। भारत सरकार द्वारा नवीन सहकारिता मंत्रालय स्थापित होने से सहकारिता क्षेत्र को अनेक क्षेत्रों में विकसित होने में बल मिलेगा और सहकारिता से कमजोर वर्गो को समृद्ध एवं रोजगार उपलब्ध कराने में संभावनायें परिलक्षित होगी। संबोधन में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कार्यशाला में विचारणीय विषयों के आधार पर प्रत्येक सम्मिलित सदस्य को अपने–अपने क्षेत्रों में आगामी 6 माह में नवीन एवं गैर परम्परागत क्षेत्रों की सहकारी संस्थाओं का गठन प्रकिया सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। मै आशा करता हूँ कि हम सहकारिता के माध्यम से नवीन एवं गैर परम्परागत क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का गठन करते हुये प्रदेश को अग्रणी एवं उन्नत प्रदेश बनाने में अपना योगदान देंगे।

कार्यशाला में म.प्र. राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुये नवीन एवं गैर परम्परागत क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के गठन प्रकिया पर आयोजित विभाग के कार्यपालिक कर्मचारियों की इस कार्यशाला को वर्तमान परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक बताते हुये अतिथियों एवं अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त किया एवं विश्वास व्यक्त किया कि हम इस क्षेत्र में अवश्य प्रदेश को अग्रणी बनाने में तत्पर रहेंगे।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

किसान की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जाएगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

किसानों की सुविधा के लिए लगेंगे राजस्व और विद्युत समस्या निराकरण शिविर

राज्य सरकार करेगी डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों के हित में की घोषणाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान का किसानों ने माना आभार

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में उन किसानों के नाम भी जोड़े जाएंगे जो पात्र होते हुए भी किसी वजह से नाम नहीं जुड़वा सके। किसानों की राजस्व और विद्युत देयक संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों के हित में अनेक घोषणाएँ की। किसानों द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल के मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय के मैदान से किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा का भाव है। किसानों की जो भी जायज समस्याएँ हैं, उन्हें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रारंभ में किसानों के संगठन द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान को सुझाव-पत्र दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के अनेक किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। यदि सूची में पात्र किसानों के नाम दर्ज नहीं हो सके हैं, तो उन्हें दर्ज कर 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का कार्य किया जाएगा।

प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि में 6 हजार और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के 4 हजार मिला कर प्रति हितग्राही सालाना मिलने वाली 10 हजार रूपए की राशि से लाभान्वित हो रहे हैं। इस लाभ से वंचित लोगों के नाम प्राथमिकता से जोड़े जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएँ की। इनमें नहरों की मरम्मत, मंडियों में किसानों के हित में अत्याधुनिक उपकरण स्थापित करने, बड़े तौल काँटे लगाने, राजस्व भूमि पर वर्षों से कृषि कार्य करते आ रहे किसानों के लिए पात्रतानुसार आवश्यक पट्टे प्रदान करने, विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार द्वारा किसान की जमीन लिए जाने के फलस्वरूप नामांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणाएँ शामिल हैं। प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत किया गया। मंच पर भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अन्य प्रमुख घोषणाएँ

- किसान की सहमति से ही उसकी भूमि का अधिग्रहण होगा।
- डिफाल्टर कृषक की कर्ज माफी का ब्याज भरने का कार्य सरकार करेगी।
- गन्ना किसानों का बकाया, मिल मालिकों से चर्चा कर वापस करवाने का कार्य किया जाएगा।
- जले ट्रांसफार्मर शीघ्र से शीघ्र बदलवाने का कार्य होगा।
- किसान पम्प योजना की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार

केन्द्रीय सचिव श्री सांई ने महासंघ के एमडी श्री धीमान को 5 लाख रूपये का चेक सौंपा

भोपाल : मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को विशेष कार्य और उपलब्धियों की श्रेणी में केन्द्र शासित क्षेत्र दमन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में केन्द्र शासन के सचिव मत्स्य श्री जितेंद्र नाथ सांई ने महासंघ के एम.डी. श्री पुरूषोत्तम धीमान और प्रदेश के मत्स्य-पालन मंत्री के ओ.एस.डी. श्री जीवन रजक को 5 लाख रूपये के राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया।

जल-संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने विशेष उपलब्धि के लिए मत्स्य महासंघ की सभी मछुआ सोसायटी और मछुआरों को बधाई और शुभकामनाएँ भी दी हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा एक हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के बाँध, नदी और तालाबों में मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन तथा उत्पादन में लगातार वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ के कार्यों और नवाचारों की प्रशंसा की गई है।

प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास श्री कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार बेहतर काम किया जा रहा है। इसके लिए मछुआ सोसाइटी से लगातार संवाद करने के साथ ही मछुआ परिवारों की मदद के लिए अनेक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं। विगत 3 वर्ष में विपरीत परिस्थितियों में भी विभाग के द्वारा अच्छा काम किया गया है और मछुआ समितियों के सदस्यों को राज्य सरकार की योजना का लाभ दिया गया है। साथ ही मछुआ समाज के लोगों को जाल, नाव, बीमारी में सहायता, स्वास्थ, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक मदद और बालिकाओं के विवाह के लिए मीनाक्षी योजना में आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।

महासंघ के एम.डी. श्री धीमान ने बताया की मत्स्य महासंघ द्वारा व्यवसाय से अर्जित शुद्ध लाभ का लगभग 50 प्रतिशत भाग मछुओं के कल्याण में व्यय किया जाता है। इस कार्य के लिए मत्स्य महासंघ द्वारा मछुआ कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। मत्स्य पालकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना, बचत-सह-राहत, आजीविका सहयोग, जलदीप, नाव-जाल अनुदान, मुख्यमंत्री मीनाक्षी कन्या विवाह, निषादराज छात्रवृत्ति, गंभीर बीमारी, शिक्षा प्रोत्साहन, प्रोत्साहन पुरस्कार, अनुग्रह और मछुआ प्रशिक्षण योजना शामिल है। मछुओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिना ब्याज एवं कम ब्याज दर पर ऋण दिलाने के उददेश्य से केन्द्र सरकार की मंशानुरूप किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मत्स्य महासंघ के मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड से 40 हजार रूपये की ऋण सीमा तक राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये मत्स्य महासंघ के अधीन 28 जलाशय हैं, जिसका औसत 2 लाख 31 हजार हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र मत्स्य पालन के लिए उपलब्ध है। विगत वर्षों में प्रदेश में कई नवीन जलाशयों का निर्माण हुआ है, जिससे नवीन जलक्षेत्र विकसित हुआ है। राज्य शासन की मछली पालन नीति- 2008 के प्रावधान अनुसार 1000 हेक्टेयर से बड़े जलक्षेत्र वाले नवीन जलाशयों का प्रबंधन मत्स्य महासंघ को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इसके कार्यक्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

वर्तमान में 216 पंजीकृत समितियों के 14 हजार 688 सदस्य महासंघ के जलाशयों में कार्यरत है। जलाशयों से होने वाले मत्स्योत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है।

कृषक भवन के लिये पुनासा मण्डी को एक करोड़ रुपये मिलेंगे : कृषि मंत्री

नगर परिषद के नव-निर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएँ

किसानों को खाद की घर पहुँच सेवा रहेगी उपलब्ध

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने नगर परिषद पुनासा के नव-निर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पुनासा कृषि उपज मण्डी में कृषक भवन के निर्माण के लिये एक करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। राज्य सरकार किसानों को गाँव में ही खाद उपलब्ध कराने जा रही है।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद पुनासा द्वारा विकास कार्य किये जाकर नया कीर्तिमान बनाया जायेगा। उन्होंने परिषद के नव-निर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कृषि उपज मण्डी पुनासा में किसानों के लिये सर्व-सुविधायुक्त कृषक भवन बनाया जायेगा। इसके लिये सरकार द्वारा एक करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी सरकार किसानों के हित में सभी आवश्यक कदम उठा रही है। प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। डिफाल्टर और अऋणी किसानों को भी सरकार नगद में खाद उपलब्ध करायेगी। किसानों की दिक्कत को दूर करने के लिये सरकार गाँव में ही खाद उपलब्ध कराने जा रही है।

पर्याप्त मात्रा में खाद मौजूद, चिंता की जरूरत नहीं - कृषि मंत्री श्री पटेल

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों को खाद की चिंता करने की जरूरत नहीं हैं। प्रदेश में 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद उपलब्ध है। किसानों की व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए सरकार गाँव में खाद उपलब्ध कराएगी।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि प्रदेश में प्रतिदिन 10 रैक खाद आ रही है। जिलों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष में 21 नवम्बर तक 36 लाख 63 हजार मीट्रिक टन खाद प्राप्त हो चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में नवम्बर तक 29 लाख 13 हजार मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति हुई थी। डिफाल्टर और अऋणी किसानों को नगद में खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। किसानों को खाद के लिये लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाँव में ही खाद का ट्रक पहुँचाया जायेगा। खाद वितरण के लिये पीओएस मशीनों की व्यवस्था कर दी गई है। खाद की कोई कमी नहीं है। असुविधा होने पर किसानों का सच्चा साथी- 'कमल सुविधा केन्द्र' के दूरभाष क्रमांक- 0755-2558823 पर शिकायत कर सकते हैं। तत्काल व्यवस्था की जायेगी।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को यूरिया एवं डीएपी पर सब्सिडी का लाभ देकर, व्यय केन्द्र सरकार स्वयं वहन कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली 71 हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी बढ़ कर 2 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गई है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिये उर्वरक एवं सब्सिडी व्यवस्था के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख भाई मंडाविया का आभार व्यक्त किया है।

डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर (म.प्र.)

14. मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर

आर्थिक स्थिति विवरण पत्रक - दिनांक 31.03.2022

क्र.	राशि 31.03.21	दायित्व		राशि 31.03.22	क्र.	राशि 31.03.21	सम्पत्ति		राशि 31.03.22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**16787050.00**	**अंश पूंजी**		**16019975.00**	1	**1784803.00**	**रोकड़ एवं बैंक**		**3063935.00**
		अंश	16008600.00				रोकड़ हाथ में	3063935.00	
		अंशपूंजी सदस्य	11075.00		2	22828385.57	**बैंक खाता बैलेन्स**		44046884.02
		नाम मात्र	300.00				एक्सिस बैंक	91048.28	
2	**34529593.61**	**निधियाँ**		**36614147.98**			सी.सी. बैंक ग्वा. बचत खाता	91120.34	
		आकस्मिक निधि	423584.00				एस.बी. इण्डिया अलापुर	13203874.00	
		रक्षित निधि	10754852.40				चालू खाता सी.सी. बैंक ग्वा.	1000.00	
		डूबन्त ऋण प्रारक्षित निधि	8254576.15				चालू खाता म.प्र. राज्य सह. बैंक	703305.92	
		भवन निधि	11019526.43				आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड	8644953.19	
		धर्मार्थ निधि	271306.00				चालू खाता यूको बैंक क्लियरिंग हाउस	--	
		लाभांश समीकरण निधि	5090303.00				आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ग्वा. चालू खाता	12589685.97	
		कम्प्यूटराईजेशन निधि	800000.00				एस.बी.आई. क्लियरिंग हाउस	429196.17	
3	**338873371.30**	**जमा एवं निक्षेप**		**323581325.18**			एच.डी.एफ.सी. बैंक क्लियरिंग हाउस	--	
		चालू खाता	1034976.15						

क्र.	राशि 31.03.21	दायित्व		राशि 31.03.22	क्र.	राशि 31.03.21	सम्पत्ति		राशि 31.03.22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		बचत खाता	149176440.03				चालू खाता आई.सी.आई.सी.आई. बैंक भोपाल		
		डॉ. अम्बेडकर प्लान	--				आई.डी.बी.आई. क्लियरिंग खाता	6535859.84	
		आवर्ती अमानत	3453739.00				यस बैंक लिमिटेड	1756840.31	
		सावधि जमा व्यक्तिगत	125487109.00		3	**281743471.00**	**सावधि जमा एवं विनियोग**		**269116842.00**
		मेच्यूरिटी बट नोट पेड	586159.00				एस.बी.आई. लिक्विड फण्ड	16900000.00	
		अल्पावधि सावधि जमा	27365079.00				सावधि जमा यस बैंक	8800000.00	
		क्यू.आई.एस. सावधि जमा	192.00				सावधि जमा म.प्र.राज्य सह.बैंक	33590938.00	
		हितकारी अल्प बचत योजना	16477631.00				शासकीय प्रतिभूति आई.सी.आई. सी.आई. बैंक	139501400.00	
	43253643.68	**अन्य देनदारियाँ**		**54886814.68**			सावधि जमा आई.सी.आई.सी.आई.	5000000.00	
		विविध देनदारियाँ	132117.50				सावधि जमा आई.डी.बी.आई. बैंक	16025301.00	
		लिटिगेशन	6750.00				सावधि जमा एस.बी.आई. मयूर मार्केट	18044661.00	
		अतिदेय ब्याज	51538031.00				सावधि जमा पंजाब एण्ड सिंध बैंक	16559937.00	
		चैक प्राप्त	1848133.00				अंशों में विनियोग	200.00	
		डी.डी. पे–बिल	231979.00				एस.बी.आई. मेला रोड	14694405.00	

क्र.	राशि 31.03.21	दायित्व		राशि 31.03.22	क्र.	राशि 31.03.21	सम्पत्ति		राशि 31.03.22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		टी.डी.एस. खाता	178486.00		4	112676309.50	**ऋण एवं अग्रिम खाता**		95396820.50
		सदस्यता लाभांश	853887.00				नगद साख	2896360.00	
		ब्याज देय सावधि	59993.00				अल्पावधि ऋण	929289.00	
		सस्पेंस खाता	4180.00				अधिविकर्ष ऋण	3162754.00	
		अनपेड देनदारी यस बैंक	--				सावधि जमा पर ऋण	206296.00	
		अनपेड देनदारी ICICI बैंक	3629.18				दीर्घावधि जमा ऋण	81548025.50	
		कर्मचारी भविष्य निधि	29629.00				मध्यावधि ऋण	6489096.00	
5.	2748415.21	**कन्टेन्जेन्सी लाईबिलटी**		2748415.21			शासकीय प्रतिभूतियों पर ऋण	165000.00	
		डीफ पे बिल	1434937.00		5	224380.00	**अन्य सम्पत्तियाँ**		161750.00
		अनक्लेम बचत	1165684.36				स्टॉक इन्वर्टर एवं बैटरी	25446.00	
		अनक्लेम चालू खाता	147793.85				स्टॉक कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर	17441.00	
6	35323491.00	**प्रावधान**		39233680.00			लाइब्रेरी	14495.00	
		प्रावधान आयकर	1111398.00				सिक्योरिटी ऑन टेलीफोन	6120.00	
		ह्रास शासकीय प्रतिभूतियों पर	--				डेड स्टॉक फर्नीचर एवं फिक्चर्स	98248.00	
		मानक आस्तियों पर	751010.00						
		ऑडिट फीस	239041.00						

क्र.	राशि 31.03.21	दायित्व		राशि 31.03.22	क्र.	राशि 31.03.21	सम्पत्ति		राशि 31.03.22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		कर्मचारी ग्रेच्युटी फण्ड	3161615.00		6	54384623.10	**अन्य लेनदारियाँ**		63940353.65
		कर्मचारी प्रशिक्षण	63555.00				अनक्लेम बचत	1165684.36	
		अशोद्ध एवं संदिग्ध ऋण	29446522.00				अग्रिम खाता	308622.00	
		प्रावधान फाड मास्टर्स कम्प्यूटर्स	2295975.00				ई.सी.एस. रिटर्न क्लियरिंग	105129.00	
		प्रावधान लीव	1833840.00				डीफ फण्ड रिसेवेबिल	1434937.00	
		वेतन प्रावधान	330724.00				डिमान्ड फॉम मास्टर कम्प्यूटर्स	1895975.00	
7	2126407.37	**शुद्ध लाभ**		2642227.12			प्राप्ति योग्य ब्याज (विनियोग पर)	3372700.00	
			2642227.12				डीप रिसेवेबिल आर.बी.आई.	207111.00	
							अनक्लेम चालू खाता	147793.85	
							अप्राप्त ब्याज (ऋणों पर)	51859724.00	
							चैक कलेक्शन	1848133.00	
							अग्रिमकर एवं टी.डी.एस.(सावधियों पर)	1394839.00	
							टी.डी.एस. प्राप्त	16311.00	
							प्राप्ति योग्य शासकीय प्रतिभूति	183394.44	
			Total	475726585.17				Total	475726585.17

गणितीय दृष्टि से जाँच की व सही पाया। हस्ताक्षर
नाम [illegible] पद [illegible] 22

अग्रेषित
उप पंजीयक
सहकारी समितियां
[illegible] ग्वालियर (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें संभाग ग्वालियर
संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्गमन पत्र क्रमांक/अंके/निर्गमन/ 722 दिनांक 11/11/22 में उल्लेखित आक्षेपो एवं निर्देशो के पालन हेतु जारी।

(श्रीमती सुषमा सिंह बघेल)
लेखापाल
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक
मर्यादित, ग्वालियर

(राकेश आर्या)
प्रबंधक
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक
मर्यादित, ग्वालियर

(मनोज सुमन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक
मर्यादित, ग्वालियर

पी.डी. गर्ग एण्ड कम्पनी
'गायत्री सदन' माहवजी की पार्क
महल रोड, लश्कर ग्वालियर

For P.D. GARG & CO.
Chartered Accountants
FR No.: 001138C
C.A. Mayur Garg
Partner
M.No. 416150
GWALIOR

DATE: 29-06-2022
UDIN: 22416150AMAVQA6365

(एस.आर. जरसानिया)
अध्यक्ष
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक
मर्यादित, ग्वालियर

डॉ0 अम्बेड़कर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर (म.प्र.)

14, मयूर मार्केट, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर

लाभ/हानि पत्रक 31.03.2022

S.No.	Debit 31.03.2021	Particulars	Amount 31.03.2022		Credit 31.03.2021	Particulars	Amount 31.03.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	90.00	मार्ग व्यय	4480.00	1	11361934.00	ब्याज प्राप्त विनियोगों पर	10217162.37
2	59496.00	स्टेशनरी एवं रजिस्टर	118747.00	2	15561532.00	ब्याज प्राप्त ऋणों पर	12213468.00
3	23280.00	टायपिंग एवं फोटोकॉपी	21904.00	3	6006392.23	शास. प्रति. पर ब्याज प्राप्त	6679311.39
4	4500.00	क्लोजिंग एलाउन्स	--	4	9070.00	आवेदन शुल्क	3225.00
5	610000.00	ऑफिस किराया	720000.00	5	1807620.30	अन्य आय	28886.30
6	2500.00	व्यवसाय विकास व्यय	--	6	11100.00	चैक बुक चार्जेस	9150.00
7	4145.00	ऑफिस मेंटीनेंस	15340.00	7	32600.00	ऋण प्रक्रिया शुलक	15660.00
8	111482.00	बिजली व पानी व्यय	128663.00	8	900.00	पूर्ण ऋण उपयोगिता	750.00
9	17106.00	वार्षिक आमसभा व्यय	16129.00	9	1800326.00	अग्रिम कर वापस	115850.00
10	26929.00	पोस्टेज एवं टेलीफोन	17829.00	10	462103.00	ब्याज प्राप्त आयकर	--
11	43853.00	बैठक व्यय संचालक मण्डल	88894.00	11			
12	548996.00	बीमा व्यय	543236.00	12			
13	37100.00	विज्ञापन व्यय	47531.00				
14	67066.16	बैंक चार्जेज	15171.20				
15	127249.00	अन्य व्यय	98292.00				

S.No.	Debit 31.03.2021	Particulars	Amount 31.03.2022		Credit 31.03.2021	Particulars	Amount 31.03.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
16	36013.00	डेड स्टॉक ह्रास	32289.00				
17	194594.00	वाहन भाड़ा	215461.00				
18		ह्रास शासकीय प्रतिभूतियों पर	--				
19	300100.00	ऑडिट फीस	26060.00				
20	423927.00	एजेन्ट कमीशन	368316.00				
21	6010.00	कानूनी सलाहकार व्यय	15000.00				
22	5200.00	गणवेश व्यय	2900.00				
23	150000.00	मानक आस्तियों पर	--				
24	6691000.00	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण पर (प्रावधान)	3000000.00				
25	38477.00	क्लियरिंग हाउस चार्जेज	42700.00				
26	33000.00	आन्तरिक अंकेक्षण व्यय	84000.00				
27	137583.00	कम्प्यूटर मेन्टीनेंस व्यय	106345.00				
28	4419897.00	वेतन खाता	4308908.00				
29	107079.00	कर्मचारी भविष्य निधि	176430.00				
30	10000.00	चन्दा जिला संघ	--				
31	135432.00	सर्विस टैक्स	144826.00				
32	1000000.00	अर्जित अवकाश प्रावधान	200000.00				

S.No.	Debit 31.03.2021	Particulars	Amount 31.03.2022		Credit 31.03.2021	Particulars	Amount 31.03.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
33	95975.00	(प्रावधान फॉर फ्रॉड)	--				
34	12101.00	कम्प्यूटराईजेशन	13553.00				
35	Nil	ब्याज प्राप्त अधिविकर्ष	--				
36	5257.00	कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	3000.00				
37	Nil	अग्रिम कर	914248.00				
38	29062.00	ह्रास डैड स्टॉक इनवर्टर	32938.00				
39	17657190.00	ब्याज दिया जमा निक्षेपों पर	14736715.74				
40	13963.00	ई.पी.एफ. व्यय	14580.00				
41	Nil	टी.डी.एस. व्यय	--				
42	239018.00	प्रोफेशनल फीस	54250.00				
43	Nil	चन्दा मिलो संघ	10000.00				
44	--	एजेन्ट कमीशन (ई.पी.एफ.)	--				
45	2500.00	प्रोफेशनल टैक्स बैंक	2500.00				
46	1500000.00	कर्मचारी ग्रेच्युटी	300000.00				
47	2126407.37	कुल लाभ	2642227.12				
		Total	**29283463.06**			**Total**	**29283463.06**

(श्रीमती सुषमा सिंह बघेल)
लेखापाल
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक मर्यादित, ग्वालियर

(राकेश आर्या)
प्रबंधक
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक मर्यादित, ग्वालियर

(मनोज कुमार)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक मर्यादित, ग्वालियर

For P.D. GARG & CO. Chartered Accountants FR No. 001138C C.A. Mayur Garg Partner M.No. 416150 GWALIOR
पी.डी. गर्ग एण्ड कम्पनी
'गायत्री सदन' माहदजी का पार्क
महल रोड, लश्कर ग्वालियर
DATE: 29.06.2022
UDIN: 22416150AMAVQA6365

(एस.आर. जरसोनिया)
अध्यक्ष
डॉ. अम्बेडकर नाग.सह. बैंक मर्यादित, ग्वालियर

डॉ0 अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित

अंकेक्षण प्रमाण–पत्र

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता अंकेक्षक प्रमाणित करती हूं कि मैंने डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक जे.आर.जी.डब्ल्यू.आर.–4/दिनांक 10 मार्च 1995 है। जो तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित है, का अंकेक्षण पंजीयक सहकारी समितियां म.प्र. भोपाल द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया है।

बैंक का पंजीयन प्रमाण–पत्र विधिवत सही है तथा बैंक में रखा गया है मेरे द्वारा डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर 31 मार्च 2022 तक का स्थिति विवरण पत्रक तथा लाभ–हानि पत्रक जो उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष में लेखों से संबंधित तक की जॉच की गई है, यह स्थिति विवरण। पत्रक तथा लाभ–हानि पत्रक बैंक के प्रधान कार्यालय में रखे गये है।

अतः मेरे द्वारा प्रस्तुत संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा साथ में संलग्न आक्षेपों तथा स्थिति विवरण पत्रक पर अंकित टीप के अधीन हैं।

1 बैंक का व्यवसाय आमतौर से अच्छी तरह से विधिवत तथा ईमानदारी से व उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम तथा उनके अंतर्गत बने नियम जो प्रभावशील है के अन्तर्गत पंजीयक सहकारी समितियां म.प्र. से प्रशासकीय निर्देशों के अनुसार जो कि समय–समय पर भेजे गये तथा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट की आवश्यकता के अनुसार किया गया है ।

2 बैंक की स्थिति विवरण पत्रक पूर्ण रूप से स्पष्ट है । इसमें आवश्यक सभी जानकारी जो बैंक के व्यवहार और स्थिति को दर्शाते हैं का समावेश किया गया है, तथा जो जानकारी बैंक के खाते में दर्शाई गई दिखाई देती है वह इसमें सब परिलक्षित होती है ।

3 मुझे जानकारी व स्पष्टीकरण की जब–जब आवश्यकता हुई वह जानकारी मुझे प्राप्त हुई।

4 बैंक के व्यवहार जो मेरी जानकारी में आये वे सभी बैंक के कार्य सीमा में किये गये है ।

5. अंकेक्षण हेतु जो भी प्रपत्र एवं लेखा बैंक से बुलाये या प्राप्त किये गये है सभी पूर्ण तथा पर्याप्त हैं । जिनकी जानकारी विवरण निर्देशिका एक में दी गई है।

6. बैंक का लाभ–हानि पत्रक संलग्न निर्देशिका 1 में वर्णित जानकारी को छोड़कर बैंक के लाभ का सही चित्र प्रस्तुत करता है। सी.बी.एस में माइग्रेशन के कारण कुछ तकनीकी कमी है जिसकी जानकारी निर्देशिका में दी गई है।

7. मेरे मत से संस्था का स्थिति विवरण पत्रक एवं लाभ–हानि नियमों के अनुसार बनाये गये हैं। जिनकी जानकारी निर्देशिका एक में दी गई है।

8. मेरे मत से अधिकोष द्वारा सभी हिसाब नियमों की आवश्यकता के मुताबिक रखे गये है ।

अतः मैं अधिकोष को पंजीयक सहकारी समितियां म.प्र. भोपाल द्वारा प्रसारित नियमों में दी गई कसोटियों के आधार पर अंकेक्षण वर्ष 2021–22 के लिये वर्ग "ब" श्रेणी प्रदान करता हूँ ।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 29/06/2022
UDIN:- 22416150AMAVQA6365

कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें संभाग ग्वालियर
संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्गमन पत्र क्रमांक/अंके/निर्गमन/ 722 दिनांक 11/11/22 में उल्लेखित आक्षेपों एवं निर्देशों के पालन हेतु जारी।

For P.D. GARG & CO. Chartered Accountants FR No. 001138C C.A. Mayur Garg Partner M.No. 416150 GWALIOR
मैसर्स पी.डी. गर्ग एण्ड कम्पनी
'गायत्री सदन' माहदजी का पार्क,
महल रोड, लश्कर ग्वालियर

सहकारी शिक्षण को मुख्यधारा में लाना, व्यावसायिक प्रबंधन और उन्मुखी प्रशिक्षण

भारतीय सहकारिता आंदोलन दुनियां का सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन है, जिसमें विभिन्न प्रकार की करीब 8.5 लाख सहकारी समितियां कार्यरत है। इनमें से जिन समितियों के पास प्रशिक्षित, पेशेवर कर्मचारी व संसाधन है, वे अच्छा कार्य कर रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ''सहकार से समृद्वि'' का मंत्र दिया है। उनका मानना है कि सहकारिता से देश में समृद्वि आ सकती हे। इस मंत्र को फलित करने के लिये पहली बार केन्द्र में जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। जिसका प्रभार वरिष्ठ व अनुभवी सहकारी नेता माननीय श्री अमित शाह को दिया गया। सहकारिता मंत्रालय की कार्ययोजना में मुख्यतः पेक्स का कम्प्यूटरीकरण, पेक्स को बहुउद्देशीय बनाना, पेक्स की संख्या को बढाकर देश की हर पंचायत में एक पेक्स का होना, सहकारिता विश्वविघालय, जेम पोर्टल पर सहकारी संस्थाओं की उपस्थिति, सहकारिता के कानूनो में समयानूकुल सुधार आदि है। नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक व पैक्स के कामकाज को आपस में जोडने के लिये एक सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है। काम बड़ा है, जिसमें थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। ग्रामीण युवा बडी संख्या में शिक्षा व रोजगार के लिये शहर पलायन कर रहे है। जिससे शहरीकरण तेजी से बढ रहा है व गांव में कार्यशील आबादी कम होती जा रही है। सहकारिता द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ग्रामीण स्तर पर ही सहकारी शिक्षा देकर युवा को सहकारी रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। गांव यदि समद्व होंगे तो देश समद्व होगा।

सहकारिता के विश्वमान्य सात सिद्धान्तों में से पांचवा सिद्धान्त ''सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण व सूचना'' है। जो सम्भावित सदस्य है उन्हे लम्बी अवधि की सहकारी शिक्षा देकर सहकारिता में कार्य करने के लिये तैयार किया जावें। जो सहकारिता में कार्यरत है उन्हे संक्षिप्त अवधि के प्रशिक्षण द्वारा अघतन किया जावें। सहकारिता में हो रहे अच्छे कार्यो की सूचना आमजन तक पहुचाई जावें। पांचवें सिद्वान्त का यही उद्देश्य है। भारत में सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण का ढ़ांचा त्रिस्तरीय है। देश स्तर पर वैमनीकॉम, एनसीसीई, आईआरएमए तथा प्रदेश स्तर पर आईसीएम, स्टेट यूनियन के जेटीसी तथा जिला स्तर पर जिला सहकारी संघ द्व ारा सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। जिनमें से कुछ को इसके लिये शासकीय अनुदान मिलता है व शेष प्रशिक्षण शुल्क, संस्थाओं से शिक्षा निधि व आय के अन्य साधनो पर निर्भर है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति ठीक नही है। जिसके कारण आधारभूत संरचना व श्रमशक्ति की कमी दिखाई दे रही है। सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण गतिविधियों के लिये यह स्थिति ठीक नही है। जिसके लिये तत्काल ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

सहकारी शिक्षण को मुख्यधारा में लाने के लिये सहकारिता विश्वविघालय की स्थापना करना तथा सहकारिता के विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन करना, इस दिशा में बहुत बड़ा कदम सिद्व होगा। वर्तमान में देश प्रदेश में आयोजित सहकारी पाठ्यक्रमों में एकरूपता नही है व उसकी किसी विश्वविघालय से मान्यता नही होने से नौकरी के लिये इतने उपयोगी भी नही है। सहकारिता विश्वविघालय द्वारा हर प्रदेश की भाषा अनुसार माध्यम रखने व उसमें किताबे उपलब्ध करवाने से प्रशिक्षार्थियों को आसानी रहेगी। सहकारिता में नियुक्ति व पदोन्नति के लिये यदि यह डिग्री, डिप्लोमा अनिवार्य कर दिये जावें तो ही पर्याप्त संख्या में प्रवेश मिल पायेंगे। सहकारी संस्थाओं में खाली पड़े विभिन्न पदो को भरने की भी कार्ययोजना बनाई जाना चाहिये तभी मांग व आपूर्ति वाला नियम काम करेगा। स्कूल व कॉलेजो में एक विषय सहकारिता का पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाने से संभावित सदस्यों को सहकारी शिक्षा का ज्ञान मिल सकेगा व सहकारी डिग्री डिप्लोमाधारी को यहॉ पर भी नौकरी का अवसर मिल सकेगा। संकाय सदस्यों को भी समय समय पर प्रशिक्षण देकर अपडेट करते रहना चाहिये। सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण के लिये आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिये। जिसके लिये टेलीविजन, रेडियो, विभिन्न एप जैसे गूगल मीट, जूम व वेबसाईट का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा के लिये किया जाना चाहिये। जिससे समय, पैसा व श्रम की बचत होगी। सहकारी सप्ताह इन सब बातो के प्रचार प्रसार का उपयुक्त समय है। सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं को स्कूल, कॉलेज व सहकारी संस्थाओं में जाकर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिये। जय सहकारिता।

शिरीष पुरोहित
कम्प्यूटर प्रशिक्षक, सहकारी
प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारिता से नवीन एवं गैर परम्परागत ....

कार्यशाला को प्रशिक्षण का रूप देते हुये प्रतिभागियों को म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के पूर्व प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा द्वारा नवीन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के गठन की संभावनाओं एवं समितियों के गठन में वैधानिक प्रक्रियाओं का समावेश करते हुये सावधानीपूर्वक समिति की गठन प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, सहकारिता श्री अरविंद सिंह सेंगर द्वारा गैर परम्परागत क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के गठन हेतु ऐसे कौन–कौन से क्षेत्र है जहॉ इन समितियों का समावेश किया जा सके, पर अपना व्याख्यान दिया एवं मध्यप्रदेश के किन ग्रामीण अंचलों में नवीन गैर परम्परागत संभावना वर्तमान में उपलब्ध है की जानकारी उपलब्ध कराई। कार्यक्रम में श्री ललित मौर्या, वरिष्ठ अधिकारी नाबार्ड द्वारा सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण FPO गठन में नाबार्ड की भूमिका के संबंध में विस्तृत रूप से अपना उदबोधन दिया। FPO (कृषक उत्पादन संगठन) कहां–कहां गठित है व कैसे उनका संचालन हो रहा है की जानकारी दी गई। कार्यशाला/प्रशिक्षण में संबोधित करते हुए डॉ. अतुल दुबे, प्रोफेसर, इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस स्टेडीज ने सहकारिता क्षेत्र में स्टार्टअप नवीन क्षेत्र की संस्था हेतु व्यवसायिक कार्ययोजना/प्रोजेक्ट निर्माण एवं क्रियान्वयन (लघु फिल्मों को प्रदर्शित करते हुये स्टार्टअप एवं एवं व्यवसायिक कार्ययोजना प्रोजेक्ट निर्माण) पर अपना व्याख्यान बडे सुंदर ढंग से उपस्थित प्रतिभागियों को समझाया और आशा की कि जिन–जिन प्रक्रियाओं का पालन करते हुये व्यवसायिक कार्ययोजना तैयार की जाती है उसे सहकारी समिति के गठन में समावेश करेंगे।

प्राकृतिक खेती के लिए पंजीयन पोर्टल पर

भोपाल : प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वृहद कार्यक्रम चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक कृषकों के पंजीयन के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। किसानों प्राकृतिक खेती के लिए ऑनलाईन पंजीयन करने के लिए प्रक्रिया अपनाने की अपील की गई है। किसान अपने मोबाईल पर विभागीय वेबसाईट http://mpkrishi.org टाईप करें। वेबसाईट के होम पेज पर नीचे दी गई लिंक पर किसान पंजीयन के लिए क्लिक करें।

पंजीयन तीन स्टेप में होगा जिसमें कृषक की जानकारी, मोबाईल का वेरीफिकेशन एवं अन्य जानकारी फीड कर जानकारी भरेंगे। प्रक्रिया पूर्ण कर लेने पर कृषक का प्राकृतिक खेती के लिए पंजीयन हो जाएगा।

सब्जी, मसाला और पुष्प के बीज विक्रय बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित

भोपाल : निजी बीज विक्रेता जिनके द्वारा सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लिये बिना विक्रय नहीं किये जाये। उक्त बीजों के व्यापार करने के लिये विक्रेता उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। बिना बीज लायसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की रहेगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

अन्न प्रदाता के साथ ऊर्जा प्रदाता ....

प्रदेश की कृषि विकास दर को उच्चतम स्थिति में रखने का प्रयास रहा है। वर्तमान में यह 18 प्रतिशत है, जो अन्य प्रांतों से अधिक है। एग्रो विजन से किसानों को मार्गदर्शन देने का कार्य श्री नितिन गडकरी कर रहे हैं। ऐसे कार्य मध्यप्रदेश सीखना चाहता है। अनुकरणीय और श्रेष्ठ कार्य सीखना ही चाहिए। मध्यप्रदेश में काफी कुछ किया गया है, लेकिन जिस ढंग से तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की प्रेरणा देने का कार्य श्री गडकरी कर रहे हैं, वो सराहनीय है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भी यही मंशा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित उनके अनेक नवाचार प्रेरणा का कार्य करते हैं। श्री नितिन जी ने आज भी अनेक नवाचारों की जानकारी दी है। विदर्भ ही नहीं संपूर्ण भारत में एग्रो विजन किसानों को शिक्षित करने और मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एग्रो विजन के सुझावों को मध्यप्रदेश की धरती पर लागू करने का कार्य किया जाएगा।

केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर निरंतर बढ़ी है। मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में और भी बेहतर परिणाम देगा। उन्होंने कहा किऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों की उपयोगिता और उनके लाभ के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान अन्न प्रदाता होने के साथ ही ऊर्जा प्रदाता भी बन रहा है। अद्यतन तकनीकों का उपयोग किसानों की आय को बढ़ाने में मददगार बन रहा है। विदर्भ के किसानों को कृषि क्षेत्र की नई तकनीक और नए व्यवसाय से अवगत करवाने, उनकी आय में वृद्धि करवाने, खेती को अधिक लाभदायक बना कर किसान को सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से हर साल नागपुर में एग्रो विजन किया जाता है। श्री गडकरी ने बताया कि एग्रो विजन का यह 13वां वर्ष है। इसमें किसान, कृषि विशेषज्ञ और कृषि प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। चार दिन के इस आयोजन में विभिन्न विषय पर कार्यशाला, राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी, सेमीनार एवं संगोष्ठियों के महत्वपूर्ण सत्र होंगे। खाद्य, चारा और ईंधन पर केन्द्रित भविष्य की कृषि पर विचार करते हुए इस क्षेत्र में अनुसंधान से एकीकृत प्रौद्योगिकी के विकास पर व्यापक चर्चा करना एग्रो विजन का मुख्य उद्देश्य है।

50 लाख से अधिक किसान देख चुके हैं कृषि प्रदर्शनी

एग्रो विजन में प्रदर्शनियों के जरिये से किसानों को नवीनतम तकनीक की जानकारी दी जाती है। लगभग 400 कार्यशालाओं में करीब 700 विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिला है, जिसका लाभ 4 लाख से अधिक किसान बंधु ले चुके हैं। करीब 2500 कम्पनियों ने कृषि क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्यों का प्रदर्शन किया। इनमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी शामिल हैं। कृषि विश्वविद्यालयों के विद्वानों ने भी किसानों का मार्गदर्शन करने का कार्य किया। प्रदर्शनियों का अवलोकन 50 लाख से अधिक किसान कर चुके हैं। विदर्भ क्षेत्र में जैविक कृषि, कपास उत्पादन, मत्स्य-पालन, बाँस उत्पादन, बागवानी के कार्यों से किसानों को जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान और केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने एग्रो विजन-2022 की डायरेक्ट्री का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जन-प्रतिनिधि, किसान संगठनों के सदस्य और नागरिक उपस्थित थे।

बहुउददेशीय सहकारी समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का नेतृत्व विकास एवं प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ एवं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में बहुउददेशीय सहकारी समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु नेतृत्व विकास एवं प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 16.11.2022 से 18.11.2022 तक (तीन दिवसीय) का आयोजन किया गया। जिसमें श्री जी.पी.मांझी, प्राचार्य, भोपाल द्वारा सहकारिता का अर्थ, आंदोलन के उददेश्य सहकारी सिद्धांतों एवं मूल्यों को समझाया गया। श्री ए.के. जोशी, पूर्व प्राचार्य द्वारा सहकारी समिति के सदस्यों एवं संचालकों के अधिकार, कर्तव्य के बारे में जानकारी दिया गया। श्री अविनाश सिंह सेवानिवृत्त वरि. सहकारी निरीक्षक द्वारा सहकारी अधिनियम की प्रमुख धारायें, प्रबंधन की जानकारी दी गई। श्री आनंद पराडकर, विषय विशेषज्ञ द्वारा अंकेक्षण संबंधी विभिन्न प्रावधान, श्री भगवानसिंह, सीनियर रूडसेट संस्थान, भोपाल द्वारा उद्यमिता विकास श्रीमति रेखा पिप्पल, व्याख्याता द्वारा समिति का लेखांकन, वित्तीय पत्रकों का निर्माण, श्रीमति मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर प्रशिक्षक द्वारा सहकारी समिति का निर्वाचन, श्रीमति सृष्टि उमेकर द्वारा नेतृत्व विकास, श्री रेणु नायक, सचिव, आदित्य शैक्षणिक व सामाजिक कल्याण समिति द्वारा व्यवसाय विकास योजना श्रीमति प्रभा गौर, अध्यक्ष, कुंजल वेलफेयर सोसायटी प्रबंधन के दायित्व एवं विकास के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दिया गया। अंत में श्री संतोष येडे, राज्य समन्वयक द्वारा आभार प्रकट किया जाकर प्रमाणपत्र वितरण कर वर्ग का समापन किया गया।

सहकारिता आंदोलन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रुप से सक्षम बनाया जा सकता है

महिला स्वयं सहायता समूह के तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण में श्री जोशी ने कहा

रतलाम। जिला सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पत्रकार शरद जोशी ने कहा कि सहकारिता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। आज के दौर में शासन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। सामूहिक सशक्तिकरण के लिए सहकारिता परिपक्व कदम है, जिसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रुप से सक्षम बनाया जा सकता है।

श्री जोशी ने यह बात भारतीय राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र नई दिल्ली एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित रतलाम के तत्वावधान में गांव हसनपालिया में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए कही। श्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है, जिसका लाभ महिलाओं को उठाना चाहिए और गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह का गठन कर अधिक से अधिक महिलाओं को जोडऩा चाहिए। अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन भी विचाराधीन है।

श्री जोशी ने कहा कि महिलाओं को जागरूक होकर अन्य महिलाओं को जागरूक करना चाहिए, ताकि वे अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह से जुड़े और आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने लिज्जत पापड़ संस्थान का उल्लेख किया जो महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है।

इंदौर सहकारी प्रशिक्षण के पूर्व प्राचार्यद्वय के.एल. राठौड़ तथा निरंजनकुमार कसारा ने विस्तार से सहकारिता आंदोलन एवं सहकारिता के माध्यम से महिलाओं का किस प्रकार से उद्धार हो सकता है इस पर प्रकाश डाला और कहा कि स्वयं सहायता समूह को दुग्ध समितियों से भी जोड़ा जा रहा है ताकि वे दुग्ध समितियों के माध्यम से लाभ अर्जित कर सके। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी दी और कहा कि पशु खरीदने और संस्था के संचालन के लिए भी मदद की जाती है। ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पंचायत पिपलौदा के सहायक विकासखंड प्रबंधक दीपक देवड़ा एवं महेश जमरा, आजीविका मिशन के प्रबंधक जयप्रकाश सिंह चौहान, दुग्ध संयत्र के शिवनारायण पाटीदार ने भी योजनाओं के बारे में बताया।

कार्यक्रम के अंत में ग्राम संगठन की अध्यक्षा श्रीमती संगीता जाट एवं उनकी टीम ने ग्यारह सूत्र गीत का समूह वाचन किया। संचालन करते हुए जिला सहकारी संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिरूद्ध शर्मा तीन दिवसीय प्रशिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। आभार जनसंपर्क अधिकारी पिंकेश भट्ट ने माना।

विभाग में 4 हजार 361 शासकीय पदों पर होगी भर्ती

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कृषि विभाग में भी 4 हजार 361 शासकीय पदों पर भर्ती की जायेगी। कृषि विभाग में 3 हजार 844 और उद्यानिकी विभाग में 517 पद मिलाकर कुल 4 हजार 361 पदों पर भर्ती की जायेगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रति माह लाखों लोगों को स्व-रोजगार से जोड़ रही है।

पेसा एक्ट से होगा जनजातीय समुदाय का आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण : मुख्यमंत्री

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेसा एक्ट जनजातीय भाई-बहनों की आर्थिक, सामाजिक उन्नति और उन्हें सशक्त एवं अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये लागू किया गया है। यह एक्ट समाज के सभी नागरिकों के हित में है। किसी भी गैर-जनजातीय समाज के नागरिक के खिलाफ नहीं है। पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्र में गाँव में लागू होगा, यह एक्ट शहर में लागू नहीं होगा। हमारे जो भी जनजातीय भाई-बहन विकास की दौड़ में पीछे रह गये हैं, पेसा एक्ट उन्हें मजबूत बनायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान धार जिले के कुक्षी में पेसा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यहाँ उन्होंने 4 जनपद की 40 ग्राम पंचायत के सरपंचों से चारपाई पर बैठ कर पेसा एक्ट के नियमों के संबंध में संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कुक्षी से क्रान्तिसूर्य जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा को पूजन के बाद रवाना किया और यात्रा में स्वयं शामिल भी हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर सबका अधिकार होना चाहिये। पेसा एक्ट के नियमों के अनुसार अब पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड को गाँव की जमीन का नक्शा, खसरा, बी-1 नकल वर्ष में एक बार गाँव में लाकर ग्राम सभा में दिखाना होगा, जिससे जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न कर सके। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो ग्राम सभा को रिकॉर्ड को सुधारने की अनुशंसा करने का अधिकार होगा। पटवारी को ग्राम सभा की बैठक में भूमि संबंधी डिटेल्स पढ़ कर सुनानी होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट के नियम में प्रावधान है कि शासन की योजना के किसी भी प्रोजेक्ट में किये जाने वाले सर्वे और भू-अर्जन के लिये ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। किसी भी जनजातीय नागरिक की भूमि छल-कपट और बलपूर्वक अब कोई हड़प नहीं सकेगा। यदि कोई ऐसा करता है, तो ग्राम सभा को उसे वापस करवाने का अधिकार रहेगा। उन्होंने कहा कि बहला-फुसला कर धर्मान्तरण कराने और फिर जनजातीय समाज की जमीन हड़प लेने की कोशिश नहीं होने दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खनिज की खदान, जिसमें रेत, गिट्टी पत्थर की खदान शामिल है, के ठेके देना है या नहीं, इसका निर्णय ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। खदान पर पहला अधिकार सोसायटी, फिर गाँव की बहन-बेटी और उसके बाद पुरुष का होगा।

सिंचाई तालाबों का प्रबंधन ग्राम सभा करेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने गाँव-गाँव में तालाब बनवाये हैं। इन तालाबों का पूरा प्रबंधन ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा तय करेगी कि तालाब में मछली पाले या नहीं। तालाब से जो आमदनी होगी, वह ग्राम सभा को मिलेगी। सौ एकड़ कृषि क्षेत्र में सिंचाई करने वाले तालाब का प्रबंधन अब सिंचाई विभाग नहीं ग्राम सभा करेगी।

जंगल से मिलने वाली वनोपज पर ग्राम सभा का अधिकार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँव की सीमा के जंगल में होने वाली वनोपज-महुआ, हर्रा, बहेरा आदि के संग्रहण और बेचने और भाव तय करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। तेन्दूपत्ता को तोड़ने और बेचने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। इसमें सरकार का किसी भी प्रकार का दखल नहीं रहेगा। सरकार यह काम तभी करेगी, जब ग्राम सभा चाहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेन्दूपत्ता यदि इस साल तोड़ना चाहते हैं, तो शीघ्र ही 15 दिसम्बर तक ग्राम सभा को प्रस्ताव पारित करना होगा।

ग्राम विकास का निर्णय ग्राम सभा लेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम सभा ही ग्राम विकास की कार्य-योजना बनायेगी। ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि खर्च की जा सकेगी। काम के लिये गाँव से बाहर जाने वाले श्रमिक को पहले ग्राम सभा में यह बताना होगा कि वह कहाँ काम करने जा रहा है, उस स्थान का पता लिखाना होगा, जिससे कि उस श्रमिक के हितों का ध्यान ग्राम सभा रख सके। यदि कोई बाहर का व्यक्ति गाँव में आता है, तो उसे भी ग्राम सभा को सूचित करना होगा। श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक मिले, इसका ध्यान भी ग्राम सभा रखेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में केवल लायसेंसधारी साहूकार ही निर्धारित ब्याज दर पर पैसा उधार दे सकेंगे। इसकी जानकारी भी ग्राम सभा को देनी होगी। अधिक ब्याज लेने पर संबंधित साहूकार पर कार्यवाही होगी।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।